[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 30/2018-केन्द्रीय कर (दर)

नई दिल्ली,
दिनांक 31 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि.........(अ) – केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर और इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017- केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 690(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के क्षेत्र-विस्तार और उसकी प्रयोज्यता को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है, एतद्द्वारा, उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्या 9 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (vi) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंत:स्थापित करती है, यथा:-

> "स्पष्टीकरण 2- इस मद में निहित कोई भी बात भारत में एक स्थान से भारत में ही दूसरे स्थान तक माल के परिवहन से भिन्न अन्य किसी सेवा की आपूर्ति पर लागू नहीं होगी । " ।

2. उपर्युक्त मद के वर्तमान स्पष्टीकरण को अब स्पष्टीकरण 1 लिखा जाएगा ।
3. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से लागू होगी ।

[फाइल संख्या 354/428/2018-टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि 690(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 17/2018-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2018, सा.का.नि 681 (अ.) दिनांक 26 जुलाई, 2018 के तहत, के द्वारा संशोधन किया गया है ।